

टेलीविजन एवं ग्रामीण समाज (महिलाओं की नवीन भूमिका के विशेष संदर्भ में)

डॉ. हितेन्द्र सिंह राठौड़

सह आचार्य

वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

नेहा सिंह

शोधार्थी

वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

सारांश

किसी भी समाज का अस्तित्व संचार के बिना सम्भव नहीं है संचार के कई साधन हैं जो समाज को एकीकृत करने का काम करते हैं। इन साधनों में प्रमुख साधन टेलीविजन भी है। समाज में जागरूकता लाने का टेलीविजन सबसे अच्छा साधन है। इसने सभी को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या नगरीय क्षेत्र का, स्त्री हो या पुरुष, बच्चे, युवा या वृद्ध। वर्तमान में ग्रामीण समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन के विभिन्न कारकों में से एक कारक टेलीविजन भी है। प्रस्तुत अध्ययन टेलीविजन एवं ग्रामीण समाज (महिलाओं की नवीन भूमिका के विशेष संदर्भ में) पर केन्द्रित है।

संकेत शब्द – महिलाओं की नवीन भूमिका, जेण्डर असमानता, टेलीविजन, ग्रामीण समाज

परिचय

भारत जैसे विशाल एवं पारम्परिक सभ्यता के देश में 20वीं शताब्दी के आरम्भ में जब आधुनिक विकास का दौर शुरू हुआ तो नये युग की चेतना का देश के विशाल जनसमूह में फैलाना एक गम्भीर चुनौती थी। ऐसे समय में जनसंचार के प्रभावी माध्यम के रूप में टेलीविजन ने भारत में प्रवेश किया। कालान्तर में टेलीविजन भी उससे जुड़ गया। दूरदर्शन ने भारत में प्रसारण मीडिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धीरे-धीरे टेलीविजन में नेटवर्क का विस्तार हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप डिजिटल टेलीविजन, डी.टी.एच, टेलीफोन सेवा, एच.डी. आदि नई तकनीके प्रारम्भ हुईं। वर्तमान में डी.टी.एच. टेलीविजन सेवा में 500 से अधिक चैनल प्रसारित किये जा रहे हैं एवं इसका अधिक प्रचलन देखा जा रहा है। यह तकनीकी बहुत लोकप्रिय है। इसमें प्रसारित चैनलों से स्त्री और पुरुष सभी प्रभावित हैं। परन्तु इनमें से कुछ चैनलों ने महिलाओं में बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल की है। यह चैनल महिला दर्शकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित का रहा है। यह आकर्षण समाज में कई प्रकार के परिवर्तनों को जन्म दे रहा है।

टेलीविजन

टेलीविजन श्रव्य के साथ-साथ दृश्यों को भी प्रसारित करता है। इसलिए आधुनिक युग में टेलीविजन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितम्बर 1959 में यूनेस्को की सहायता से हुई। मनोरंजन, शिक्षा व सूचना के इस माध्यम से सन् 1965 को नियमित सेवा के प्रसारण के आरम्भ से भारत के उद्देश्य से इस टेलीविजन ने समाज को विकास की नई दृष्टि दी। धीरे-धीरे भारत में अनेक राज्यों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना की

गयी। सन् 1982 से भारत में टेलीविजन पर रंगीन दृश्यों का प्रसारण किया जाने लगा। वर्तमान में भारत में सभी राज्यों में स्थापित अनेक केन्द्रों एवं शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की मदद से भारत में लगभग 90 प्रतिशत जनता तक दूरदर्शन की पहुँच बन चुकी है। समाचारों, खेलों और ज्ञान-विज्ञान के लिए अलग चैनलों की व्यवस्था और कार्यक्रमों की भरमार के कारण जन-सामान्य की रुचि टेलीविजन के प्रति बढ़ती जा रही है। आधुनिक जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन समाज का एक ऐसा प्रभावशाली माध्यम है कि वर्तमान में यह समाज की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है कि आज फिल्म, राजनीतिक, साहित्य, खेल आदि प्रत्येक क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्ति भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं विभिन्न चैनलों के बीच बढ़ती होड़ और केबल क्रान्ति ने तो जन-जन के बीच इसकी लोकप्रियता को चरम तक पहुँचा दिया है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में प्रत्येक वर्ग की रुचि के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं साथ ही उन वर्गों के लिए अलग चैनल बनाकर भी उनकी रुचि के अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। (श्रण्ट टपंदपजंउए 2003)

अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन टेलीविजन एवं ग्रामीण समाज (महिलाओं की नवीन भूमिका के विशेष संदर्भ में) पर केन्द्रित है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि टेलीविजन देखकर ग्रामीण महिलाओं की भूमिका किस प्रकार परिवर्तित हुई है। अध्ययन का क्षेत्र अमेठी जिले का कमासिन गाँव है कमासिन अमेठी का ऐसा गाँव है जहाँ युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए 180 ग्रामीण युवाओं (युवक एवं युवती) का उद्देश्यपूर्ण निर्देशन की सहायता से चयन किया गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। तथ्यों का विश्लेषण वर्णनात्मक के साथ अन्य अनुसंधानों के निष्कर्षों एवं सिद्धान्तों के संदर्भ में किया गया है।

ग्रामीण समाज

ग्रामीण समाज का स्वरूप ढाँचा संगठन और इसकी सामाजिक व्यवस्था नगरीय समाज के प्रतिकूल है। इसके आर्थिक-सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक ढाँचे एवं व्यवस्था की अपनी विशेषताएँ हैं। जो इसे अन्य समाजों से पृथक् करती है। ग्रामीण समाज अथवा कृषि समाज की जब हम बात करते हैं तो उसका आशय ऐसे समाज से होता है। जिसके सदस्यों की जीविका का साधन कृषि है। ग्रामीण समाज का सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है। ये चाहे उनके जीविका अर्जन के साधन के रूप में हो अथवा परम्परा, रीति-रिवाज, संस्कार, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि के रूप में। (महाजन, संजीव, 2012) ग्रामीण समाज से हमारा तात्पर्य ऐसे समाज से है जिनमें ये विशेषताएँ विद्यमान होती है। कृषि पर निर्भरता, कम जनसंख्या, जनसंख्या का कम घनत्व, कुछ पर्यावरण की भिन्नता, सामाजिक समानता, संस्तरण की कमी, स्थिरता, व्यक्तिगत सम्पर्क की दृढ़ता, सामाजिक दृढ़ता व सामाजिक समानता, सामाजिक भिन्नता, जटिलता एवं श्रम-विभाजन का प्रभाव। (जस्प् उजपीए 1953)

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

आबादी की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। उनमें से लाखों महिलाएँ ग्रामीण और गरीब है। भारत उन कुछ देशों में से है जहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या काफी कम है और यह असंतुलन समय के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत में लिंग अनुपात 100:93, क्रमशः पुरुष : महिलाएँ हैं। अनुपात 9.4 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में तथा 8.9 प्रतिशत शहरी इलाकों में है। ग्रामीण महिलाओं के लिए

सामान्य जीवन व्यतीत करना एक कठिन चुनौती है। प्रारम्भिक अवस्था में महिलाओं को बीमारियाँ होने पर उचित देखभाल नहीं की जाती तथा पुरुषों की तुलना में उन्हें इलाज की सुविधाएँ भी कम मिल पाती हैं।


2001 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता स्तर 64.8 प्रतिशत है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण भारत का साक्षरता स्तर 79.9 प्रतिशत है। यदि महिलाओं के संदर्भ में दृष्टिपात करें तो जहाँ शहरी भारत में 72.9 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। वहीं ग्रामीण भारत में मात्र 46 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। वे आज भी पुरुषों द्वारा बनाए हुए नियमों का अनुसरण करती थी। उनके फैसलों का उतना महत्व नहीं होता जितना पुरुषों के निर्णय का ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को केवल पुरुषों के निर्णय की सेविका के रूप में ही देखा जाता है। वे आज भी पुरुषों द्वारा दी गई यातनाओं का शिकार होती हैं। ग्रामीण महिलाएँ निरक्षरता, गरीबी और अंधविश्वास के बंधन में जकड़ी हुई थी वे कोई सामाजिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर पाना आसान नहीं है। सन् 1951 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तब भी यह माना गया की देश समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता है। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73वाँ संविधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था। ग्रामीण विकास के आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक तीन पहलू हैं। जो परस्पर एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। इनमें से आर्थिक विकास में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पुरुषों की तुलना में दो गुना अधिक श्रम किया जाता है। जहाँ एक पुरुष प्रतिदिन 10 घण्टे कार्य करता है। वहीं एक महिला प्रतिदिन 16 घण्टे कार्य करती है। अतः उसके योगदान को कम महत्व दिया जाता है।

(जजचरूध्णुमकपवविततपहीजण्वतहध्वउमदतपहीजधेपदधंतांत।व.डीपदणजउस)

टेलीविजन एवं ग्रामीण महिलाएँ


टेलीविजन देखकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को बार चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

टेलीविजन के द्वारा जेण्डर असमानता



उपरोक्त बार चित्र से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार टेलीविजन से जेण्डर असमानता कम हुई है। उनके अनुसार टेलीविजन के कारण यद्यपि लड़का-लड़कियों का भेदभाव कम तो नहीं हुआ है। परन्तु अब लड़कियों को भी पहले की अपेक्षा अधिक सुविधा दी जाने लगी है। इन्होंने बताया कि पहले लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ नहीं थी परन्तु अब लड़कियों को शिक्षा भी दी जाने लगी है। टेलीविजन में प्रसारित विभिन्न धारावाहिकों में लड़कियों की पैरवी की जाती है। उनके अधिकारों की बात की जाती है। जिससे अब धीरे-धीरे जेण्डर असमानता कम हुई है यद्यपि लड़के और लड़कियों में भेदभाव आज भी किया जाता है, परन्तु इसमें कमी आयी है।।

टेलीविजन देखकर ग्रामीण महिलाओं की नवीन सामाजिक भूमिकाओं की स्वीकृति को बार चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है।



उपरोक्त बार चित्र से स्पष्ट होता है कि अधिकांश युवक एवं युवतियाँ पुरुष के समान स्त्री के कैरियर को महत्व दे रहे हैं। लेकिन युवक और युवतियों में से युवतियाँ ज्यादा महत्व दे रही हैं। उनका कहना था कि टेलीविजन आने से पहले वो युवतियों के कैरियर को महत्व नहीं देते थे। लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता था। उन्हें पुरुष के अधीन समझा जाता था। उनको बोलने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन टेलीविजन आने के बाद युवक और युवतियों की मानसिकता बदली है। अब वो पुरुष के समान स्त्री के कैरियर को महत्व देने लगे हैं। जिस तरह टेलीविजन कार्यक्रमों में युवक और युवतियों के कैरियर को समान रूप से महत्व देते हुए दिखाया जाता है उन्हें हर चीजों में भागीदार बनाया जाता है। अब ये भी सोचने लगे हैं कि अगर युवतियों के कैरियर पर पुरुष के समान ध्यान दिया जाए तो आगे चलकर उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। जबकि वहीं कुछ युवक और युवतियाँ टेलीविजन के सम्पर्क में आने के बावजूद भी कम प्रभावित हुए हैं। वो आज भी पुरुष की तुलना में स्त्री के कैरियर को कम महत्व दे रहे हैं क्योंकि उनकी सोच आज भी यह बनी हुई कि युवतियों को पढ़ाने से क्या फायदा, कौन सा वो हमें कमा के खिलाएगी वो तो दूसरे की अमानत है, उन्हें दूसरे के घर जाकर चूलहा चौका ही करना है। जो पैसा इनको पढ़ाने में या कैरियर बनाने में खर्च होगा इतने पैसों में इनकी शादी हो जाएगी अर्थात् युवक और युवतियों में युवतियाँ पुरुष के समान स्त्री के कैरियर को ज्यादा महत्व दे रही है।

बच्चों के पालन-पोषण में स्त्री के साथ पुरुष की सहभागिता के आधार पर अधिकांश युवक और युवतियाँ बच्चों के पालन-पोषण में स्त्री के साथ पुरुष की सहभागिता को स्वीकार रहे हैं। युवक और युवतियों में भी युवतियाँ अधिक स्वीकार कर रही है। उनका कहना था कि टेलीविजन आने से पहले युवकों का बच्चों के पालन-पोषण में स्त्री के साथ पुरुष की


कोई सहभागिता नहीं होती थी। पुरुषों का मानना था कि बच्चों का पालन-पोषण करना युवतियों का कर्तव्य है और पति का काम केवल उनकी आवश्यकताएँ पूरा करना है लेकिन टेलीविजन आने के बाद युवक और युवतियों की मानसिकता बदली है। जिस तरह टेलीविजन के कई कार्यक्रमों में दिखाया जाता है कि पुरुष और महिला दोनों ही मिलकर काम करते हैं चाहे वह बच्चों को पालना हो या खाना पकाना। उसी तरह से ये सब चीजें देखकर युवक और युवतियों की मानसिकता बदल गयी है। अब वो साथ मिलकर घर का काम करने के साथ बच्चों का पालन-पोषण भी करता है। जहाँ वहाँ अगर कुछ पुरुष घर के बाहर रहते हैं वो जब भी अपने घर आते हैं तो बच्चों के पालन-पोषण में अपनी पत्नियों का हाथ बंटाते हैं। जैसे- बच्चों को छोड़ना-लाना, उनका टिफिन तैयार करना, ड्रेस पहनाना आदि के साथ पुरुष की सहभागिता देखी जा रही है। पहले वे युवतियों को कुछ नहीं समझते न ही उनकी कोई मदद करते थे। लेकिन टेलीविजन आने के बाद युवक और युवतियाँ सारा काम मिल-जुलकर कर रहे हैं।

पारिवारिक आय के खर्च करने का समान अधिकार के आधार पर पाया गया कि अधिकांश युवक और युवतियाँ पारिवारिक आय के खर्च करने के समान अधिकार को स्वीकार कर रही हैं। जिसमें युवतियों की संख्या अधिक है, टेलीविजन आने से पहले पारिवारिक आय पुरुषों के हाथ में होती थी, जिसे वे अपनी इच्छा व जरूरतों के अनुसार खर्च करते हैं। जबकि स्त्रियों को केवल उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से खर्च करने का अधिकार प्राप्त था जो भी युवतियों को चाहिए होता था। उतना ही चीजें दी जाती है वो अपनी इच्छानुसार खर्च नहीं कर सकती थी। जबकि टेलीविजन आने के बाद चीजें बदल गयी है। टेलीविजन के सम्पर्क में रहने के बाद उनकी मानसिकता बदल गयी है। अब युवतियों को भी पारिवारिक आय खर्च करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब परिवार में युवा और युवतियों को समान रूप से देखा जाता है। उन्हें अपनी इच्छानुसार खर्च करने का अधिकार दिया जाता है। जबकि वहाँ कुछ युवक-युवती का कहना था कि उनके ऊपर टेलीविजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो आज भी अपनी इच्छानुसार खर्च नहीं कर पाती। उन्हें जो भी कुछ चाहिए होता है पति से बोलना पड़ता है। पति जो जरूरत की चीजें सिर्फ वहाँ ले आते हैं। युवतियों का खर्च करने से पहले पतियों से अनुमति लेनी पड़ती है अर्थात् युवक की तुलना में युवतियाँ पारिवारिक आय समान रूप से खर्च करने को अस्वीकार कर रही है।

अपनी आय को स्वयं खर्च करने के आधार पर पाया गया कि अधिकांश युवक-युवती महिलाओं की नवीन सामाजिक भूमिका में इस बात को स्वीकार करते हैं कि महिलाओं को अपने आय को स्वयं खर्च करने का अधिकार है। उनके अनुसार टेलीविजन द्वारा उनमें जागरूकता आयी है कि यदि महिला कमाती है तो वह अपनी आय को स्वयं खर्च कर सकती है टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रमों में नायिकाओं के किरदार में बताया जाता है कि वह कमाती है और सारे निर्णय खुद लेती है। इस प्रकार उनमें भी जागरूकता आयी है कि महिलाओं को अपनी आय स्वयं खर्च करने का अधिकार है।

कामकाजी महिलाएँ अच्छी गृहणी नहीं होती के आधार पर पाया गया कि अधिकांश युवक-युवतियाँ इस बात से सहमत है कि वे इस मत को स्वीकार नहीं करती हैं। उनके अनुसार टेलीविजन के आने से पहले कामकाजी महिलाओं के प्रति उनके मन में अनेक भ्रांतियाँ थी कि कामकाजी महिलाएँ घर की पूरी तरह उपेक्षा कर देती है। बच्चे का ध्यान नहीं रखती, बड़े जनों का आदर नहीं करती हैं। परन्तु टेलीविजन से जुड़ने के बाद वे इस चीज को समझने लगी हैं कि कामकाजी महिलाएँ घर के उत्तरदायित्व को उचित तरीके से निभा सकती है। इस प्रकार कामकाजी महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता बदली है। वहाँ कुछ उत्तरदाता ऐसे पाए गए जिनका माना था कि कामकाजी महिलाएँ अच्छी गृहणी नहीं होती है।

टेलीविजन का प्रकार्य




उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार टेलीविजन समाजीकरण की भूमिका निभाता है। इनमें भी युवक की अपेक्षा युवतियों की संख्या ज्यादा है। इनके अनुसार टेलीविजन से हमें कई चीजों के बारे में हमें सीखने को मिलता है। जैसे— खान—पान के नये तरीके, पहनावे के नये तरीके, केश सज्जा के नये—नये तरीके, बच्चे की देखभाल के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही विभिन्न भूमिकाओं के बारे में भी सीखने को मिलता है।

इसी प्रकार सभी युवकों के अनुसार टेलीविजन सूचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवतियों में अधिकांश युवतियों इससे सहमत है कि टेलीविजन सूचना का काम करता है। इसके अनुसार टेलीविजन देश—विदेश की जानकारी, मौसम की जानकारी, राजनीतिक जानकारी आदि प्राप्त होती है।

सभी उत्तरदाताओं के अनुसार टेलीविजन मनोरंजन की भूमिका निभाता है उनके अनुसार टेलीविजन देखकर हम हमारे तनाव व समस्याओं को भूल जाते हैं। इस प्रकार टेलीविजन मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यद्यपि टेलीविजन अन्य क्षेत्रों में भी भूमिका निभाता है। परन्तु ग्रामीण युवक और युवतियों के अनुसार टेलीविजन मनोरंजन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

टेलीविजन के दुष्कार्य



उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाताओं के अनुसार टेलीविजन के दुष्प्रकार्यों में हिंसा, अपराधों में वृद्धि एवं सामाजिक सम्बन्धों में दूरी होना बताया है। उनके अनुसार टेलीविजन आने के पहले गाँव में इतनी हिंसा और अपराध नहीं थे जितने कार्यक्रमों में हिंसा अपराध को बताया जाता है। जिससे हिंसा और अपराध के तरीकों को सीखते हैं। साथ ही बताया कि टेलीविजन आने के पहले गाँवों में प्रगाढ़ सम्बन्ध थे सब एक दूसरे के यहाँ जाते थे। अन्तःक्रिया करते थे, अब धीरे-धीरे टेलीविजन के कारण सब टेलीविजन में व्यस्त रहते हैं। जिससे लोगों के बीच अन्तःक्रिया कम हुई है। सामाजिक सम्बन्धों में दूरी आ गई है। इसके साथ ही सभी उत्तरदाताओं ने टेलीविजन आने से पहले लोगों के बीच में आपस में वार्तालाप हुआ करता था। घर की छोटी से छोटी बातों को लेकर, देश दुनियाँ के ऊपर चर्चाएँ हुआ करती थी। परन्तु टेलीविजन ने इस प्रकार के पब्लिक स्फीयर को खत्म कर दिया है।

निष्कर्ष

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है।

- टेलीविजन से ग्रामीण समाज में जेण्डर असमानता कुछ हद तक कम हुई है। यद्यपि यह पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुई परन्तु इसमें कमी आयी है।
- टेलीविजन देखकर ग्रामीण युवाओं ने महिलाओं की नवीन भूमिका में उनके कैरियर को महत्व देने की प्रवृत्ति को स्वीकार किया है।
- टेलीविजन देखकर ग्रामीण समाज में बच्चों के पालन-पोषण में महिलाओं की भागीदारी के साथ पुरुष की सहभागिता भी देखी जा रही है। अभी तक बच्चों का पालन पोषण स्त्री का काम होता था परन्तु अब ग्रामीण समाज में टेलीविजन से जागरूकता आयी है।
- टेलीविजन देखकर ग्रामीण समाज में यह समझ भी विकसित हुई है कि पुरुष के समान महिला को भी पारिवारिक आय खर्च करने का समान अधिकार है एवं इस बारे में समझ विकसित हुई है कि महिला अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकती है।
- टेलीविजन ने ग्रामीण समाज की इस भ्रान्ति को दूर किया है कि कामकाजी महिला अच्छी गृहणी नहीं होती।

- ग्रामीण समाज में ग्रामीण जनों के द्वारा टेलीविजन का प्रमुख प्रकार्य मनोरंजन समाजीकरण एवं सूचना पाया गया।
- ग्रामीण समाज में टेलीविजन के दुष्प्रकार्यों में एक प्रमुख बिन्दु यह उभर कर सामने आया कि टेलीविजन से ग्रामीण समाज में पब्लिक स्फीयर का प्रभाव कम हुआ है।

सन्दर्भ सूची

1. श्रण्टण टपंदपजंउए ;2003द्ध ळतवूजी – कमअमसवचउमदज वडिँ ब्उउनदपबंजपवद पद प्दकपंए छंजपवदंस ठववा ज्तनेजए छमू कमसीप
2. महाजन, संजीव (2012) : भारत में ग्रामीण समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
3. ज्ण्णैउपजीए ;1953द्ध रू जेमैवबपवसवहल वल्लितंस स्पमिण छमू ल्वताए भ्तचमत – ठतवजीमतण
4. ीजजचरूध्ण्णउमकपंविततपहीजेण्वतहध्ण्णउंदतपहीजधीपउध्ण्णतांत.।व.दीपदणीजउसण